आ रहे गांव का वर्तमान परिस्थितियों में अध्ययन कर सकें। इस सर्वेक्षण का यह लाभ होगा कि जो क्षेत्र पूर्व में डूब क्षेत्र में नोटिफाइड नहीं हो पाए हैं उन्हें नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिफाइड किया जा सकेगा। इस सर्वेक्षण के बाद वे विस्थापित अनुसूचित जनजाति जो आज तक विस्थापित होने का दावा कर रहे हैं उन्हें मुआवजा मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि उदाहरण के तौर पर यदि कोई विस्थापित परिवार 2 एकड़ भूमि के स्थान पर 3 एकड़ भूमि जोत रहा है तो उसे वर्तमान में काबिज भूमि का एवॉर्ड मिल जाएगा जिससे उसकी यह भूमि रिकॉर्ड में शामिल हो सकेगी। आयोग के इस सुझाव को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा मान लिया गया। श्री रजनीश वैश्य, प्र.स.रा.वि. ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि वे संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण शीघ्र करवाएंगे।

8.3 कट ऑफ ईयर :–

अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें यह शिकायत प्राप्त हुई है कि पहाड़ी क्षेत्र के लगभग सभी गांव के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 1993 है। अन्य स्थानों के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2001–04 के मध्य मध्य प्रदेश राज्य में भूमि अधिग्रहण हुआ है। वर्ष 1993 तथा वर्ष 2001–04 में विस्थापित परिवारों के वे पुत्र जो 18 साल की आयु प्राप्त नहीं कर सके थे वे अवयस्क घोषित किए गए। मुआवजा राशि कई वर्षों बाद प्राप्त हुई। अवयस्क पुत्र राशि मिलने के वर्ष तक वयस्क हो चुके थे तथा पुनर्स्थापना हेतु दिए जाने वाले मुआवजे के हकदार थे। राज्य शासन ने ऐसे अवयस्क आदिवासी विस्थापितों को मुआवजा नहीं दिया है। श्रीमती पंत निदेशक, न.घा.वि.प्रा. ने आयोग को आश्वासन दिया कि यदि इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है तो यह परिवार मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण में अपना प्रकरण दे सकते हैं जहां ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लेकर उन्हें अवगत करा दिया जाएगा।

8.4 मुआवजा राशि को दो या दो से अधिक किश्तों में दिए जाने का नियम :–

अध्यक्ष महोदय ने राज्य शासन के अधिकारियों के समक्ष विस्थापितों की इस शिकायत का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि विस्थापितों को भूमि खरीदने के लिए रु 5,50,000 दिए जाने का प्रावधान है जिसे दो या दो से अधिक किश्तों में दिया गया। पहली किश्त दो लाख रुपए दी गई जिससे सौदा करने के बाद विस्थापित को अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान है। विस्थापित अनुसूचित जनजाति दो लाख रुपए में यदि भूमि खरीदने में अक्षम होता है तो उसे अतिरिक्त राशि भी प्राप्त नहीं होती। यदि एक मुश्त 5,50,000 रु दिए जाते तो विस्थापित अनुसूचित जनजाति भूमि का सौदा आसानी से कर सकता था। राज्य शासन ने आयोग को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

यह भी बताया कि इस प्रावधान के अंतर्गत ही बहुत सी शिकायतें बेनामी रजिस्ट्रियों की प्राप्त हुई हैं जो वर्तमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। वर्ष 2010 से इस प्रावधान को शिथिल कर पूरा पैसा एक मुश्त दिया जाना आरंभ किया गया है।

8.5 भूमि के बदले अनिवार्यतः भूमि दिए जाने के विषय में :–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश शासन को बताया कि उन्हें यह शिकायत मिली है कि विस्थापित अनुसूचित जनजाति परिवारों को भूमि के बदले भूमि नहीं दी गई वरन् उन्हें मुआवजा राशि 5,50,000रु दे दी गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का हर त्यौहार धरती या फसल से जुड़ा रहता है यदि उनके पास भूमि ही नहीं रहेगी तो उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। भूमि ही अनुसूचित जनजाति की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भूमि नहीं रहने की स्थिति में आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र पाने में भी दिक्कत होगी। श्री वैश्य, प्रमुख सचिव ने बताया कि थांदला खजूरी के पास एक फार्म में विस्थापित अनुसूचित जनजाति को बसाने का कार्य आरंभ किया गया था किंतु उन्होंने इस भूमि को लेने से इंकार कर दिया। आज इस भूमि पर राज्य शासन द्वारा एक कृषि फार्म विकसित किया गया है जिससे अच्छी पैदावार प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर के पास बाबई गांव में भी जमीन विस्थापित अनुसूचित जनजाति को दिखाई गई थी जो उन्होंने नहीं ली आज उस जमीन पर बासमती चावल की पैदावार की जा रही है। उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश राज्य के विस्थापित अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए लैण्ड बैंक में उपलब्ध भूमि पर विस्थापित अनुसूचित जंनजाति की मर्जी के अनुसार भूमि दे दी जाएगी।

8.6 पुनर्वासित की पुरानी बसाहटों मे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के स्थानों पर मूलभूत आवश्यकताओं को जारी रखने हेतु सुझाव :–

अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश शासन को जिला धार की तहसील कुक्षी में स्थित चिखलदा, निसारपुरा तथा कड़माल ग्राम की स्थिति के बारे में रह रहे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परिवारों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। दिनांक 27.09.2016 को इन ग्रामों में जाकर भ्रमण किया था तथा वहां की वर्तमान समस्याओं की जानकारी ली थी तथा पाया कि इन स्थानों पर पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल तथा स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां के स्थानीय लोगों ने आयोग को बताया कि जबसे पुनर्स्थापित करने का आदेश आया है उसके पश्चात ऐसे स्थानों पर विकास तथा पूर्व से स्थापित सुविधाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि बंद कर दी गई है जिसके कारण यहां विकट स्थिति हो गई है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि वे कड़माल के शासकीय माध्यमिक विद्यालय मे गए थे। विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में था जिसमें बालक बालिकाएं पढ़ रहे थे। विद्यालय में फर्नीचर,

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi